श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं. 409, "ए" विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

अपील सं. 23/एएस(आरवाई)/आईसी/ आरटीआई/2016

के मामले में:

श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा,
निवासी-1/2 टिन शेड कॉलोनी,
विजय नगर, कानपुर (उ.प्र.) ....अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग.
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ....प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक: 4.10.2016

श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा (यहां इसके पश्चात् अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अपने दिनांक 24.2.2016 के आवेदन-पत्र (इस विभाग में दिनांक 1.3.2016 को प्राप्त) में निम्नलिखित सूचना मांगी थी:-

(i) पैतृक बाजार को घोषित कराने के लिए किसके यहां पर अपील करनी चाहिए, लिखित रूप से स्पष्ट करें।

(ii) इस कानून की परिधि में कौन-कौन से पात्र व्यक्ति आते हैं। लिखित रूप से स्पष्ट करें।

(iii) इस कानून का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से डाक्युमेंट्स उपलब्ध करवाने होंगे।

(iv) क्या बाजार में अस्थायी परमिट पर जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं और लगभग 50 वर्षों से भी ज्यादा समय हो गया है उन पर उक्त कानून लागू होता है या नहीं, लिखित रूप में दें।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात् प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 7.3.2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि उनके आवेदन-पत्र को, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है क्योंकि आवेदन की विषय-वस्तु शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है और उक्त पत्र में अपीलार्थी से यह भी अनुरोध किया गया था कि अपेक्षित सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जाए। अपीलार्थी ने इस विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के दिनांक 7.3.2016 के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत अपील दाखिल की है। मैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रत्यर्थी के द्वारा दिए गए उत्तर का समर्थन करता हूं क्योंकि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना विभाग की कार्यपरिधि में नहीं आती और न ही विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध है। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

4. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

रा० या०
(रामायण यादव)
अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
दूरभाष सं. 23384204

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, निवासी-1/2, टिन शेड कॉलोनी, विजय नगर, कानपुर (उ.प्र.)।
2. श्री के. गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग,'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001